Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-210/2024]
Dharmu Rishi.....Appellants.
Versus
The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.1.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर पूर्णिया द्वारा बेदखली वाद संख्या-16/2023-24 में दिनांक-06.6.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
के.नगर	परोरा/126,127,128	249	684,685	60 डी.

दिनांक 06.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पिता स्व. मोती ऋषि को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी, पूर्णिया द्वारा भूदान पर्चा नं.-83081 दिनांक-04.12.1956 को बंदोबस्त किया गया। जिसके उपरान्त जमीन का नामान्तरण के पश्चात उनके पिता के नाम से जमाबंदी सं.-06 कायम हुआ। परन्तु बाद में विपक्षीगण के द्वारा जबरन आवेदक के बंदोबस्त की गई जमीन के 02 डी. जमीन पर घर बना लिया गया। उनका यह भी कहना है कि उनके पिता एवं विपक्षीगण के पिता सहोदर भाई थे। प्रश्नगत जमीन का बंदोबस्ती उनके पिता के नाम से हुआ था, लेकिन बाद में उक्त बंदोबस्ती पर्चा में विपक्षीगण ने अपने पिता का नाम जोड़ने हेतु आवेदन दिया, जिसे जाँचोपरान्त सही पाकर जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, पूर्णिया के पत्रांक-172 दिनांक-17.12.2021 द्वारा विपक्षीगण के पिता का नाम उक्त पर्चा में जोड़ने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जबकि संगत प्रावधानों के अनुसार भूदान यज्ञ एक्ट की धारा-14 के अनुसार भू-बंदोबस्ती के पश्चात उक्त भूमि पर से भूदान यज्ञ कमिटी का सभी अधिकार, स्वत्व, दखल-कब्जा एवं हित समाप्त हो जाता है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा गलत तरीके से 60 डी. जमीन का बिहार भूदान यज्ञ कमिटी से पर्चा बनवा लिया गया था, जिसे उनलोगों द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के समक्ष आवेदन देकर संशोधित करवा लिया गया। तथा यह कि अपीलार्थी का दावा गलत है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन अपीलार्थी के पिता स्व. मोती ऋषि को भूदान यज्ञ पर्चा संख्या-83081 दिनांक-04.12.1956 के माध्यम से बंदोबस्त किया गया है। जिला भूदान यज्ञ कार्यालय, समाहरणालय, पूर्णिया के पत्रांक-352 दिनांक-24.3.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमीन मोती ऋषि

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

21.1.2026

पिता- अकल ऋषि के नाम से भूदान पर्चा प्रमाण-पत्र सं.-83081 दिनांक-04.12.1956 द्वारा आवंटित है। एवं प्रमाण-पत्र के विशेष कॉलम में दोनों भाई का बराबर हिस्सा पूर्व से अंकित है। अर्थात मूल भूदान पर्चा के अनुसार 60 डी. की जमीन में पर्चाधारी मोती ऋषि के सहोदर भाई सोती ऋषि (विपक्षी के पिता) का आधा हिस्सा यानी 30 डी. विधिमान्य है। इस बिन्दु पर अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में अपने दावे (60 डी. पर) के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस आधार पर अपीलार्थी का कुल 60 डी. जमीन पर किया जा रहा दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है। दोनों पक्ष का 30डी.-30डी. हिस्सा अनुमान्य होता है।

अतः तदनुसार अंचल अधिकारी, के0नगर को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत 60 डी. जमीन में से उभय पक्ष को प्राप्त 30-30 डी. जमीन पर विधिमान्य रूप से दखल कब्जा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपील वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजें।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Priya K.
21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
Priya K.
21/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया